फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

महेन्द्र बनाम भैरव व्है

केस संख्या : 71/21 दावा

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। (वकील वादी उप.) गवाह वादी उपस्थित प्रतिवादीगण अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रतिवादी अधिवक्ता की विरुद्ध का एकतरफा बंद किया जाता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कुतोष चाहा अतः प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर
	महेन्द्र 26-6-25	
	3-7-2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 16-7-25 को पेश हो।
	(हस्ताक्षर) प्रार्थी 3/7/25	
	16-7-25	पत्रावली प्रस्तुत। (व.फ.उप.) तनकी संख्या 1 ता 3 के निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को [illegible] असमर्थ रहे हैं अतः वादीगण का [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 71/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक –01.09.2021

1. महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री कंजोड
2. घनश्याम पुत्र स्वर्गीय श्री कजोड
3. प्रभाती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कजोड, जातियान्–खटीक, निवासी–खटीकों का मोहल्ला, ग्राम–नींदड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।
4. निर्मला देवी पुत्री स्वर्गीय श्री कलोड, पत्नी श्री जितेन्द्र, जाति–खटीक, निवासी–जवाहर नगर, जयपुर, जिला–जयपुर।

.........वादीगण

बनाम

1. भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड रजिस्टर्ड नम्बर–3122/एल, जरिए मंत्री श्री मालीराम रैगर पुत्र श्री डूंगराराम रैगर, जाति–रैगर, निवासी–प्लाट संख्या–197, सुभाष नगर कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर (राजस्थान) ।
2. राजेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी ग्राम दौलतपुरा बैनाड़, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. थानाधिकारी पुलिस थाना–हरमाडा, सीकर रोड, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।
4. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जरिये सहायक अभियंता पता– रोड नंबर 6 वी.के.आई.ए. के सामने सीकर रोड, जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री अजय कुमार सैनी – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
(2) श्री मोहन लाल गुर्जर – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से
(3) श्री अरविंद यादव – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से

दिनांक 16.07.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर–405/1035 रकबा 0. 1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–406/1036 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–410/1037 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–420/1038 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–421 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–423 / 1040 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–429/1039 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–443 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र खोराबीसल,

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

...सील–आमेर, जिला–जयपुर में स्थित है का वादीगण का पिता व पति कजोड पुत्र बद्री, ...ाति–खटीक, निवासी–ग्राम–नींदड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उसके स्वर्गवास के पश्चात् बतौर उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि की प्राकृतिक उपज का उपयोग–उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा लगान सरकार को अदा करते चले आ रहे है। वाद पत्र में वर्णित भूमि को आगे चलकर वादग्रस्त आराजीयात कहा गया है। विवादित आराजीयात तथा उसके किसी भी भू–भाग से प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है, जबकि प्रतिवादी संख्या–2 स्वर्ण जाति का सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या–1 सोसायटी है, जो विधिक व्यक्ति है तथा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 भू–माफिया है, जिन्होंने एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा फर्जी व साजसी दस्तावेज तैयार कर वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि पर ताकत व हथियारों के बल पर जबरन कब्जा करने की नियत से वादीगण की भूमि में मकानों का निर्माण करने के लिए नींव खोदकर पुख्ता निर्माण कार्य चालू करने पर आमदा हो गये। वादीगण द्वारा मना करने पर निर्माण कार्य रोक दिया गया तथा वादीगण की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की कुचेष्टा में है, वादीगण ने प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को किसी भी प्रकार से अपनी उक्त भूमि का बेचान नहीं किया है, प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने एक फर्जी व साजसी इकरारनामा 'बना रखा है, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है कि उक्त फर्जी इकरारनानामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2. वादीगण की उक्त भूमि का अन्य दीगर व्यक्तियों को पट्टे काटकर बेचान करने पर आमदा है। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने दिनांक 26/08/2021 को एलानियां धमकी दी कि हमारे पास पैसों की व हर प्रकार की ताकत है, हम आपकी कब्जे काश्त की खतोदारी भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेंगे एवम् उक्त भूमि को नष्ट–भ्रष्ट करके छोडेगे एवम् इस पर भूखण्ड काटेंगे, मकानों का निर्माण करेंगे तथा अन्य दीगर व्यक्तियों को भूमि का बेचान कर वादीगण को बेदखल करके रहेंगे। ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को किसी प्रकार का कोई अधिकार व हक प्राप्त नहीं है। जबकि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा देवे कि वह विवादित भूमि या उसके किसी भी भू–भाग पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं करें और ना ही फर्जी व साजसी इकरारनामें के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बेचान करें, वादीगण ... पर अतिक्रमण नहीं करें, सडक नहीं बनाये, कॉलोनी नहीं काटे, ना ही किसी प्रकार का ... कार्य करें और ना ही वादीगण को बेदखल करें, ना ही कृषि भूमि से अकृषि कार्य में परिवर्तन करें तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदालखत पैदा नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही अपने एजेन्ट–सर्वेन्ट दीगर व्यक्तियों से करावें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या–3 को वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के द्वारा निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

रने पर आमादा होने पर निर्माण रूकवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. प्रतिवादी संख्या–3 ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की तथा वादीगण को धमकाकर भिजवा दिया। प्रतिवादी संख्या–3, प्रतिवादी संख्या–1 व 2 से मिला हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि पर संह देकर निर्माण करवाने पर आमादा है, इसलिए वाद में पक्षकार बनाया गया है। वादीगण के पिता व पति का स्वर्गवास हो गया है, जो वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है, वादीगण उसके विधिक वारिसान है तथा बतौर उत्तराधिकार अधिनियम वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है। परन्तु विरासत का नामान्तकरण नहीं खुलने के कारण जमाबंदी में बतौर खातेदार नाम दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 वादीगण के हक व अधिकार एवम् खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर तथा अवैध रूप से फर्जी व साजसी इकरारनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रतिवादी संख्या–1 से साजकर फर्जी व साजसी पट्टे जारी करवाकर कॉलोनी काटने तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण एकराय होकर दिनांक 26/08/2021 को वादीगण की भूमि पर आये तथा वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास किया तथा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 व उसके साथ आये अन्य व्यक्तियों ने वादीगण के साथ गाली–गलौच किया तथा वादीगण ने हो–हल्ला मचाया तो आस–पास के लोग एकत्रित होने पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 तथा उनके साथ आये व्यक्ति मौके पर से चले गये तथा वादीगण को एलानियां धमकी देकर गये कि दिनांक 27/08/2021 को वापिस दल–बल के साथ आयेंगे तथा वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेंगे तथा वादीगण को जबरन बेदखल करके वादीगण की कृषि भूमि पर जबरन आवासीय कॉलोनी काटकर लोगों को भूखण्डों का बेचान करके निर्माण कार्य करवायेंगे तथा सडके डालेंगे, वादीगण को किसी भी सूरत में काश्त नहीं करने देंगे। प्रतिवादीगण भू–माफिया है व झगडालू किस्म के व्यक्ति है, जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है तथा वादीगण की भूमि को हडपना चाहते हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में सफल हो गये तो वादीगण की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लेंगे, जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी भरपाई धन में करना सम्भव नहीं हो सकेगा। वादीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। बिनाय दावा दिनांक 26/08/2021 व 27/08/2021 को प्रतिवादी संख्या–1 व 2 एवम् अन्य व्यक्तियों के साथ वादीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने पर व एलानियां धमकी देने से उत्पन्न हुआ, जो लगातार जारी हो रहा है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि को जबरन फर्जी व साजसी दस्तावेजों से कब्जा करने पर आमादा होने पर वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या चार राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, उनके खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है, परन्तु वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का होने से पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रारम्भिक आपत्तियों में अंकित किया कि खसरा नम्बर 405/1035 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 406/1036 रकबा 0.3500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 410/1037 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 420/1038 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 423/1040 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 429/1039 रकबा 0. 0300 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कुल खसरा 8 किता कुल रकबा 2.03 हेक्टेयर वाके ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का मंगल सिरहा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित हैं उक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादी संख्या 3 का कोई विवाद) नही है एवं वादीगण के पिता व पति कजोड पुत्र बद्री जाति खटीक निवासी ग्राम खातेदार काश्तकार है। तहसील आमेर, जिला जयपुर। उक्त वर्णित प्रकरण / दावा श्रीमान् जी के समक्ष पेश किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 को बिना किसी कारण/ विवाद के पक्षकार बनाया गया है जो कि निराधार है। उक्त वर्णित प्रकरण दावा में प्रतिवादी संख्या 5 से कोई भी किसी भी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। उक्त प्रकरण / दावा में प्रतिवादी संख्या 5 का विवरण टाईपिंग में नही किया गया है सिर्फ उक्त में हाथ से लिखित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 की छवि धूमिल करने की गरज से पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सिर्फ आपसी विवाद है अन्य प्रतिवादीगण से कोई भी विवाद नही है। प्रतिवादी संख्या 5 भी राज्य सरकार के अधीन ही कार्य करते है और अप्रार्थी संया 5 नियमानुसार ही आवेदक को विद्युत कनेक्शन जारी किया जाता है। मदवार जवाब में अंकित किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित है। प्रतिवादी संख्या 5 का उक्त वाद से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही है और उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 5 को बिना किसी कारण के एवं छवि धूमिल करने की गरज से पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी संख्या 5 का वादीगण द्वारा वर्णित खसरा नम्बरान से कोई भी सरोकार नही है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित हैं प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धीत नही है। इसलिए जवाब की आवश्कता नही है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित हैं प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धीत नही है। इसलिए जवाब की आवश्कता नही है। वाद पत्र की मद संख्या 4 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित हैं प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धीत नही है। इसलिए जवाब की आवश्कता नही है। वाद पत्र की मद संख्या 5 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित हैं प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धीत नही है। इसलिए जवाब की आवश्कता नही है। वाद पत्र की मद संख्या 6 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित है प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धीत नही है। इसलिए जवाब की आवश्कता नही है। वाद पत्र की मद संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 5 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

सम्बन्धीत नही है। और वादी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध करे। वाद पत्र की मद संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धीत नही है। और वादी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध करे। वाद पत्र की मद संख्या 9 प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धीत नही है। और वादी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध करे। वाद पत्र की मद संख्या 10 प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धीत नही है। और वादी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध करे। वाद पत्र की मद संख्या 11 कानूनी होने से जवाब मोहताज नही है। वाद पत्र की मद संख्या 12 कानूनी होने से जवाब मोहताज नही है। वाद पत्र 13 में वर्णित अनुतोष अस्वीकार है। वादी मद संख्या क, ख, ग में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 5 का जवाब दावा स्वीकार फरमाकर वादीगण का वाद पत्र मय हर्जे खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा निम्नानुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया विवादित्त आराजी वादीगण के पिता व पति की होने से विरासत का नामान्तरण नहीं खुलने से वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे ?

–वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है ?

–वादीगण

3. आया वादपत्र के मद संख्या 13 में वर्णित अनुतोष व मद संख्या क, ख, ग में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः वाद खारिज करने योग्य है ?

–प्रतिवादीगण संख्या 5

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 श्री महेन्द्र पुत्र स्व. कजोड, जाति खटीक, निवासी खटीकों का मोहल्ला, ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी डिजीटल प्रति प्रदर्श–1, नक्शा फोटो प्रति प्रदर्श 2, 6 वादी ने प्रदर्शित करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषकगण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत, बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्य का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

1. आया विवादित्त आराजी वादीगण के पिता व पति की होने से विरासत का नामान्तरण नहीं खुलने से वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे ?

–वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है ?

–वादीगण

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 व 2 एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। यहां वादीगण ने जाहिर किया है कि वादीगण के पिता की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण नही खुला परन्तु वादीगण ने अपने किसी भी साक्ष्य अथवा अभिवचनो से यह साबित नहीं किया की उन्होनें नामान्तकरण के संबंध में क्यो कार्यवाही नहीं की तथा बिना चाराजोही/कार्यवाही के सीधे ही वादपत्र क्यो पेश किया। वादीगण ने अपने वाद में यह जाहिर किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने एक फर्जी व साजसी इकरारनामा बना रखा है परन्तु वादीगण उक्त कथनो के अनुसार कोई दस्तावेजाता न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित किया है कि वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 स्वर्ण जाति का सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या सोसायटी जो विधिक व्यक्ति है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 सोसायटी जैसा कि वादी ने टाईटल में वर्णन किया है कि वे भी एस.सी/एस.टी. के मुखिया द्वारा ही संचालित है। वादीगण ने अपने वादपत्र में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि उक्त आराजी पैतृक हो।

वादीगण के द्वारा स्वयं के वाद के समर्थन में केवल जमाबंदी पेश की गयी है। परन्तु केवल जमाबंदी से यह साबित नही होता है कि उक्त आराजी वादीगण की पैतृक हो विवादित आराजीयात पर वादीगण के निरन्तर कब्जे बाबत कोई खसरा गिरदावरियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। संवत 2010 से पूर्व बाद की कोई जमाबन्दी वादी द्वारा स्वयं के अधिकारों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात पर स्वयं का निरन्तर कब्जा होना किसी भी साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा वाद के तथ्यों की प्रमाणिति बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 18:58:23 IST
Reason: SelfAttested

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी [illegible] को वाद सिद्ध करना आवश्यक होता है।उपरोक्त विवेचन से वादीगण तनकी 01 व [illegible] साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरुद्ध [illegible] जाती है।

3. आया वादपत्र के मद संख्या 13 में वर्णित अनुतोष [illegible] मद संख्या क, ख, ग में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः वाद खारिज करने योग्य है ?

–प्रतिवादीगण संख्या 5

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

नकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 5 पर है परन्तु प्रतिवादीसंख्या 5 ने किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 5 साबित करने में असमर्थ रहे है अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

निर्णय

तनकी संख्या 01 लगायत 03 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 71/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक –01.09.2021

1. महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री कंजोड
2. घनश्याम पुत्र स्वर्गीय श्री कजोड
3. प्रभाती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कजोड, जातियान्–खटीक, निवासी–खटीकों का मोहल्ला, ग्राम–नींदड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।
4. निर्मला देवी पुत्री स्वर्गीय श्री कलोड, पत्नी श्री जितेन्द्र, जाति–खटीक, निवासी–जवाहर नगर, जयपुर, जिला–जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड रजिस्टर्ड नम्बर–3122/एल, जरिए मंत्री श्री मालीराम रैगर पुत्र श्री डूंगराराम रैगर, जाति–रैगर, निवासी–प्लाट संख्या–197, सुभाष नगर कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर (राजस्थान) ।
2. राजेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी ग्राम दौलतपुरा बैनाड़, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. थानाधिकारी पुलिस थाना–हरमाडा, सीकर रोड, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।
5. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जरिये सहायक अभियंता पता– रोड नंबर 6 वी.के.आई.ए. के सामने सीकर रोड, जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 16.07.2025

तनकी संख्या 01 लगायत 03 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.07.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:23 IST
Reason: SelfAttested

गुदद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर